न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारीः श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 46/2017 ::

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
भंवरलाल पुत्र पाबूराम जाति गुर्जर, निवासी मुण्डावा, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)		1. खाजू खां पुत्र लालूखां मोयला मुसलामन 2. भप्पू खां पुत्र खाजूखां मोयला मुसलमान निवासीगण मुण्डावा, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) 3. ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द, जरिये सरपंच, तहसील जैतारण 4. ग्राम पंचायत घोड़ावड़, जरिये सरपंच, तहसील जैतारण

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता प्रार्थी श्री श्याम पंचारिया उपस्थित
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मो. शरीफ काजी उपस्थित

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 13-8-18

यह निगरानी प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द की आज्ञा दिनांक 20.12.1986 एंव उसकी पालना में जारी पट्टा दिनांक 20.12.1986 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। दोनों ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द व घोड़ावड़ से रेकर्ड नहीं होने बाबत रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि गांव मुण्डावा, तहसील जैतारण में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता लालूखां के नाम ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द द्वारा दिनांक 20.12.1986 को एक पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है, वह अनुसूचित जाति व जनजाति/कारीगर/लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुक्ल आवासीय पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा 10 x 15 गज का जारी किया गया। जिसके उतर में प्रार्थी के दादा देवाजी के समय से उसका बाडा स्थित है। आवंटी लालू खां के वारिशान खाजु खां पुत्र लालू व भप्पु खां पुत्र खाजु खां ने जारी पट्टे से अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा है। पट्टे में उल्लेखित शर्त संख्या 8 के अनुसार इस भूमि पर आंवटन के दो वर्ष के अन्दर आवंटी को मकान या झोपड़ा इत्यादि बनवाना अनिवार्य होगा। यदि इस अवधि में यह कार्य नहीं किया गया तो भूखण्ड वापस लेने का अधिकार आवंटन अधिकारी को होगा। आवंटी लालूखां अथवा उसके पुत्र खाजुखां तथा पौत्र भप्पु खां पुत्र खाजु खां द्वारा आदिनांक तक आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है न ही निर्माण के लिए पट्टे में उल्लेखित दो वर्ष की अवधि को आवंटन अधिकारी से नियमानुसार बढ़ावाया गया है। पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट है कि उस पर पट्टा नम्बर अथवा संकल्प संख्या अंकित नहीं है। ऐसे पट्टों के लिए पंचायत द्वारा कोरम में संकल्प पारित करना आज्ञापक है। जो नहीं किया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। जिससे प्रार्थी को आवागमन का रास्ता बंद हो गया है। इस संबंध में पुर्व में उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी जैतारण के समक्ष भी ग्राम वासियों द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा दिनांक

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

05.12.2011 को प्रार्थना पत्र का निस्तारण नाप चौक कर सीमांकन जरिये पुलिस के करवाने हेतु प्रेषित किया गया। ग्राम पंचायत घोड़ावड़ द्वारा दिनांक 05.13.2012 के प्रस्ताव संख्या 18 के द्वारा कागजात आदि मांगने पर भप्पू खां द्वारा उक्त पट्टा पेश किया गया है। पंचायत द्वारा कमेटी गठन कर उनके द्वारा ग्राम मुण्डावा के ग्राम वासियों की बैठक आयोजित की एवं मौके पर दोनों पक्षों को बुलाया गया। भप्पू खां मौके पर नहीं आया। उपस्थित ग्राम वासियों ने बताया कि लालू खां द्वारा जैर निगरानी भूखण्ड उगमाई देवी जाति ढोली से क्रय किया है। उक्त पट्टे में उल्लेखित शर्त संख्या 8 के अनुसार दो वर्ष के भीतर निर्माण नहीं होने के कारण पट्टे को उक्त शर्त के उल्लंघन के कारण स्वतः निरस्त योग्य माना है एवं उक्त पट्टे को निरस्त करने की अभिशंषा भी कमेटी द्वारा की गई है। लालू खां वक्त आवंटन सीमान्त कृषक, गरीब चयनित परिवार अथवा अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति नहीं था तथा आवासीय प्रयोजनार्थ निःशुक्ल आवंटित भूखण्ड को आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में न लेकर वाणिज्य प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है जो विधी सम्मत नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द द्वारा लालूखां पुत्र भुराखां मोयला निवासी मुण्डावा को जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 20.12.1986 को खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने वक्त बहस कथन किया कि उनके पिता व दादा लालूखां को जैर निगरानी विक्रय विलेख सन् 1986 में ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द द्वारा निःशुल्क जारी किया गया है। जैर निगरानी भूखण्ड के संबंध में एक प्रकरण माननीय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) जैतारण में विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त स्थल की मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड में एक केलू का पड़वा बनाया हुआ है तथा अप्रार्थी उक्त भूखण्ड में मटकियां बनाने का कार्य करता है। जिनको पकाने के लिए एक भट्टी भी बनी हुई है तथा लकडियों का कचरा भी अन्दर पड़ा है। जो माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय जैतारण द्वारा नियुक्त कमीशनर की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। अप्रार्थीगण का कब्जा वक्त आवंटन 20.12.1986 से ही लगातार है। विक्रय विलेखधारी अथवा उसके वारिशान द्वारा शर्त संख्या 8 का उल्लघंन नहीं किया गया है तथा सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से अप्रार्थी संख्या 1 के पिता लालू खां के नाम जारी विक्रय विलेख यथावत रखा जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत के रेकर्ड बाबत पूर्व पंचायत पिपलियां खुर्द एवं वर्तमान पंचायत घोडावड से तलब करने पर दोनों पंचायतों द्वारा मिसल, पट्टा बुक एंव कार्यवाही रजिस्टर पंचायत में नहीं होने बाबत पत्र प्राप्त हुए है। जबकि निःशुक्ल पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत कोरम में प्रस्ताव लिया जाकर, लिए गए प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक का उल्लेख पट्टे पर किया जाना आज्ञापक है। पत्रावली में उपलब्ध विक्रय विलेख की प्रति में प्रस्ताव संख्या एंव दिनांक का उल्लेख नहीं है। जिससे ग्राम पचांयत द्वारा प्रस्ताव नही लिया जाना स्पष्ट है। जो विक्रय विलेख जारी किया गया। उसकी एक प्रति आवंटन अधिकारी के कार्यालय में होना आवश्यक है। लेकिन ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्रों से स्पष्ट है कि संबंधित दोनों ग्राम पचांयतों वर्तमान एवं पूर्व में पट्टे की प्रति उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त दोनों तथ्य प्रश्नगत पट्टे की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाते है। इतना ही नहीं सन् 1986 में जारी विक्रय विलेख में अंकित आराजी पर उसकी शर्त संख्या 8 के अनुसार आवासीय निर्माण करना अनिवार्य था जो नहीं किया गया हैं तथा निःशुक्ल आवंटित आवासीय भूखण्ड को

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

व्यावसायिक कार्य में उपयोग लिया जा रहा हैं। उसका आवास कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार जैर निगरानी भूखण्ड पर नहीं है अर्थात् अप्रार्थीगण का आवास कहीं और स्थान पर है। विक्रय विलेख की पत्रावली में प्रस्तुत प्रति के अनुसार निःशुक्ल आवासीय भूखण्ड जारी करने की पात्रता रखता हो, इसके समर्थन में भी अप्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा वक्त आवंटन आवंटी लालूखां की निःशुक्ल आवसीय भूखण्ड आवंटन बाबत पात्रता की जांच नहीं की गई न ही आवंटी द्वारा आवंटन शर्त संख्या 8 की पालना की गई तथा आवंटित भूखण्ड से अधिक क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी विक्रय विलेख को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द की तथाकथित आज्ञा दिनांक 20.12.1986 एंव उसकी पालना में लालूखां पुत्र भुरा खां मोयला निवासी मुण्डावा के हक में जारी पट्टा दिनांक 20.12.1986 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति वर्तमान ग्राम पंचायत घोड़ावड़ का पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13-8-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।,

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर पाली (राज.)